

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/91/2016/एफ0सी0 | 337

Sanjay
21/10/16

दिनांक : 19-10-16

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग,
17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ० प्र०।

C.S.F
A-0
21-10-16

विषय: रायबरेली में लखनऊ-इलाहाबाद मार्ग (एन०एच०-24B) किमी० 83 व 84 के मध्य ऊँचाहार-कानपुर मार्ग के मध्य रेलवे सम्पार संख्या-24 ए (मामा चौराहा) रायबरेली के बायीं ओर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु 0.2791 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- 643/रायबरेली/20102/2016/, दिनांक- 26.09.16

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित हैं-


1. At several places in proposal the area of proposed forest land diversion has been mentioned as 0.2791 ha. and 0.2790848 ha. A single figure needs to be provided.
2. In part I at A-2 details of user agency have been mentioned as PWD but the documents have been signed by the officials of UP Bridge Corporation Ltd. This is incorrect and needs rectification
3. The kml file uploaded for proposed forest land diversion does not distinctively show the boundaries of forest land. The proposed forest area calculation as per GIS DSS software is 0.37 ha. whereas proposal is for 0.2790848.
4. The topo sheet of proposed diversion is without title, legend, index and scale. A small portion of topo sheet has been enlarged without relevant scale and attached with the proposal.
5. The geo reference map attached with the proposal is not clear. It does not provide adequate geo coordinates forming the proposed forest diversion polygon. It does not match with the kml file uploaded.
6. The justification for locating project in forest area is irrelevant.

Sanjay
19/10/16

7. The gazette notification of forest land has been signed by the officials of Reliance Jio Infocom Ltd.
8. The forest area calculation has been done without details and it is confusing.
9. The estimated cost of the proposal mentioned in part I is erroneous and does not match with the details given at page 12 of the proposal.
10. The details of employment generation at page 12 do not match with details provided online.
11. The details regarding crown density at page 14 has not been provided.
12. The district profile provided online does not match with the details given at page 15 of the proposal.
13. The certificate issued by DM under FRA 2006 has not been uploaded with the proposal.
14. The location of proposal is on the route to Allahabad and civil works have already been started. Complete report as per guideline/provision is needed regarding FCA 1980 violation.

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें। प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

संलग्नक- मूल प्रस्ताव

भवदीय,

 (वृजेन्द्र स्वरूप)
 वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:


1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रायबरेली, उ प्र०।
2. उप परियोजना प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य सेतु निगम, सेतु निर्माण ईकाई, प्रतापगढ़, उ० प्र०।
3. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
4. आदेश कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।


पत्रांक- ११० /रायबरेली/20102/2016, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 24, 2016 (वृजेन्द्र स्वरूप)
 वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तथा निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव एवं निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचना मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि उप परियोजना प्रबन्धक, उ० प्र० राज्य सेतु निर्माण ईकाई, प्रतापगढ़, उ० प्र० को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, रायबरेली को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रस्ताव की 3 प्रतियाँ प्राप्त की

 24/10/16
 8765973378


 (सुरेश चन्द्र)
 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।